न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 56/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/112

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए, झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर– 302001।		1. चौथमल पुत्र श्री हरकचन्द, 164, गौड़ मौहल्ला, दम्बोई खुर्द, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 2. महेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र श्री चौथमल, वार्ड नम्बर 14, दम्बोई खुर्द, तहसील मकराना। 3. श्रीमती सीता देवी पत्नी चौथमल, वार्ड नम्बर 14, दम्बोई खुर्द, तहसील मकराना। 4. प्रदीप कुमार गौड़ पुत्र चौथमल गौड़, राजकीय महिला विधालय के पिछे, दम्बोई खुर्द, तहसील मकराना। 5. नरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र श्री चौथमल, वार्ड नम्बर 14, गच्छीपुरा, दम्बोई खुर्द, तहसील मकराना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :–

1. श्री शिव प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 19.05.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैकने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 25,00,000/–**(अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 08.08.2017** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– चौथमल पुत्र श्री हरकचन्द मालिक सम्पति जो ग्राम दम्बोई खुर्द ग्राम पंचायत गच्छीपुरा तहसील मकराना के पट्टा नं0 22 व मिसल नं0 10506061** तहसील मकराना में स्थित है। जिसमें भूमि, **भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 759.11 वर्गफुट है जो चौथमल पुत्र हरकचन्द व महेन्द्र पुत्र चौथमल द्वारा धारित है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– भैरूबक्ष का वाड़ा व मकान, दक्षिण में :– मोतीलाल, हेमराज, गोरधन, मूलचन्द, मांगीलाल का प्लॉट, पूर्व में:– मोतीलाल, हेमराज, गोरधन, मूलच[illegible]ल का जाव, पश्चिम में:– प्लॉट,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी [illegible] ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने [illegible] नियमानुसार भुगतान [illegible]काया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 08.08.20**[illegible] को एन.पी.ए. घोषित कर [illegible]या व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 27,40,757 / –(अक्षरे सताईस लाख चालीस हजार सात सौ सतावन रूपये मात्र) दिनांक 10.05.2023 तक शेष देय व दिनांक 10.08.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी / अप्रार्थी को **दिनांक 11.08.2023 पोस्ट दिनांक 18.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 27,40,757 / –(अक्षरे सताईस लाख चालीस हजार सात सौ सतावन रूपये मात्र) दिनांक 10.05.2023 तक शेष देय व दिनांक 10.08.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी / अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी / जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी / अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से रूपये **2500000 / –(अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 08.08.2017** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम [illegible] यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना–कुचामन [illegible] दिये जाते है कि अप्रार्थी / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर [illegible] चौथमल पुत्र श्री हरकचन्द मालिक सम्पति जो ग्राम दम्बोई [illegible] तहसील मकराना के पट्टा नं0 22 व मिसल नं0 10506061 तहसील मकराना में स्थित है। [illegible] जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 759.11 वर्गफुट है जो चौथमल पुत्र हरकचन्द व महेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

पुत्र चौथमल द्वारा धारित है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– भैरूबक्ष का बाड़ा व मकान, दक्षिण में :– मोतीलाल, हेमराज, गोरधन, मूलचन्द, मांगीलाल का प्लॉट, पूर्व में:– मोतीलाल, हेमराज, गोरधन, मूलचन्द, मांगीलाल का जाव, पश्चिम में:– प्लॉट, **स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक **19.05.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested